

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 223/2012/धौलपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-धौलपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अरिहन्त टायर्स, ए.बी.रोड़, चौपड़ा मंदिर, धौलपुर.

.....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 264/2012/भरतपुर.

सहायक आयुक्त, वृत-‘बी’, भरतपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मूलचंद दीनानाथ, गंगा मंदिर, भरतपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री सी. बी. अग्रवाल, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26/02/2014

निर्णय

ये दोनों अपीलें राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे ‘अपीलीय अधिकारी’ कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 17 व 40/उपा-अपील्स/2011-12 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश क्रमशः दिनांक 8.7.2011 व 17.6.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ‘वेट अधिनियम’ कहा जावेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, धौलपुर/वृत-‘बी’, भरतपुर (जिसे आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’ कहा जायेगा) द्वारा पारित किये गये आदेश क्रमशः दिनांक 30.11.2010 व 31.3.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया है। इन दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि क्रमशः वर्ष 2008-09 व 2007-08 के लिये प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये विक्री विवरण प्रपत्रों के अनुसार व्यवहारीगण द्वारा आलौच्य अवधि में दर्शायी गयी खरीद पर आगत कर का मुजरा लिया गया है। प्रत्यर्थीगण को उनके विक्रेताओं ने विक्रय उपरान्त ट्रेड डिस्काउण्ट के क्रेडिट नोट जारी किये हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारीगण की आलौच्य

लगातार.....2

अवधियों के लिये वेट अधिनियम के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेशों में उक्त क्रेडिट नोट्स की राशि पर आगत कर को रिवर्स किया गया। प्रत्यर्थागण द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों से स्वीकार की जाकर रिवर्स टैक्स को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा ये द्वितीय अपीलें पेश की गई हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अपील संख्या	कर निर्धारण आदेश दिनांक	कर निर्धारण अवधि	क्रेडिट नोट की राशि	रिवर्स टैक्स	ब्याज
1	2	3	4	5	6
223/12	30.11.2010	2008-09	3,86,674	4,55,992	7,790
264/12	31.03.2010	2007-08	17,27,723	2,39,982	-

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।


बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि विक्रेता द्वारा विक्रयोपरान्त दिये गये क्रेडिट नोट्स की राशि वेट अधिनियम की धारा 2(36) के II स्पष्टीकरण अनुसार विक्रय मूल्य का भाग नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारीगण द्वारा लिये गये आई.टी.सी. को रिवर्स कर कोई भूल नहीं की थी। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने प्रकरणों के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार किये बिना कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने में विधिक भूल की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थागण का कथन है कि प्रत्यर्थागण द्वारा क्रय किये गये माल के खरीद मूल्य पर विक्रेता को कर अदा किया जाता है। प्रत्यर्थागण ने आलौच्य अवधि में राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये माल की खरीद पर चुकाये गये कर का इन्पुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने क्रेडिट नोट की राशि पर आई.टी.सी. अस्वीकार किया है। अग्रिम कथन किया कि व्यवहारीगण ने प्रपत्र वैट-07 में वर्णित सम्पूर्ण खरीद पर वेट कर चुकाया है एवं विक्रेता ने उस कर को राज्य सरकार को अदा कर दिया। क्रेडिट नोट में कर राशि को लौटाया नहीं गया है। विक्रेता की ओर से प्रत्यर्थागण को दिये गये क्रेडिट नोट की राशि वेट अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानानुसार भी विक्रेता के विक्रय मूल्य में

वेट अधिनियम की धारा 2(36) की उक्त विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रय इन्वायस जारी होने के बाद प्रदत्त क्रेडिट नोट्स की राशि को विक्रय मूल्य से कम नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्यर्थागण के सम्पूर्ण खरीद मूल्य पर विक्रेता द्वारा पूरा कर चुकाया जा चुका है तथा क्रेडिट नोट की राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने वेट अधिनियम के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्था व्यवहारीगण की अपीलें स्वीकार कर आरोपित रिवर्स कर एवं ब्याज अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। कर बोर्ड की एकलपीठ के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 व 270 में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
26/07/12 सदस्य